सम्मन, न्यायिक दस्तावेज़, कमिशन, निर्णयों का निष्पादन और मध्यस्थ निर्णयों की तामील के लिए सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विधिक और न्यायिक सहयोग

भारत गणराज्य

तथा

संयुक्त अरब अमीरात के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार, जिसे इसके बाद संविदाकारी पक्षकार कहा जाएगा;

दोनों देशों के बीच मित्रता के बंधन को मजबूत करने तथा न्यायिक और विधि क्षेत्रों में उपयोगी सहयोग को बढ़ावा देने के इच्छुक होने के नाते;

सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विधि सहायता के व्यापक उपाय को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए;

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुप्रयोग की संभावना

अनुच्छेद I

1. संविदाकारी पक्षकार इस समझौते के तहत एक दूसरे को अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधि सहायता के व्यापक उपाय प्रदान करेंगे।

2. इस समझौते के तहत सहायता निम्नलिखित में लागू होगी:

क. सम्मन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों या प्रक्रियाओं की तामील;

ख. अनुरोध पत्र या कमीशन के माध्यम से साक्ष्य लेना;

ग. डिक्री, निपटान और मध्यस्थ पुरस्कारों का निष्पादन।

3. अन्य संधियों या व्यवस्थाओं के अनुसार पक्षकारों के किसी भी अधिकार और दायित्वों के लिए यह समझौता बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा।

4. यह समझौता इसके लागू होने से पहले या बाद में उत्पन्न होने वाले किसी भी सिविल या वाणिज्यिक मामले से संबंधित पारस्परिक विधि सहायता के किसी भी अनुरोध पर लागू होगा।

केंद्रीय प्राधिकारी और दस्तावेजों का प्रमाणीकरण

अनुच्छेद II

1. विधि सहायता के लिए अनुरोध संविदाकारी पक्षकारों के केंद्रीय प्राधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा।

2. भारत गणराज्य में केंद्रीय प्राधिकरण विधि और न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय हैं। संयुक्त अरब अमीरात में केंद्रीय प्राधिकरण न्याय मंत्रालय है।

3. जब तक अन्यथा न कहा गया हो, विधि सहायता के संबंध में सभी दस्तावेजों पर न्यायालय द्वारा अपनी मुहर के तहत आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसे अनुरोधकर्ता पक्षकार के केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

4. सभी अनुरोध और सहायक दस्तावेज दो प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएंगे और अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष की आधिकारिक भाषाओं में से एक में अनुवाद के साथ संलग्न होंगे।

सम्मन, न्यायिक दस्तावेज और कागजात की तामील

अनुच्छेद III

1. संविदाकारी पक्षकारों में सम्मन और अन्य न्यायिक दस्तावेज तामील होंगे:

    i. भारत के मामले में, उन न्यायालयों के माध्यम से जिनके अधिकार क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति निवास करते हैं;

    ii. संयुक्त अरब अमीरात के मामले में न्याय मंत्रालय के माध्यम से।

2. सम्मन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों की तामील अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों में प्रावधान की गई प्रक्रिया के अनुसार या अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा वांछित किसी विशेष विधि द्वारा की जाएगी, जब तक कि ऐसी विधि अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य की विधि के साथ असंगत न हो।

3. इस समझौते के अनुसरण में तामील किये गये सम्मन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों को अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में तामील किया गया माना जाएगा।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रावधान संविदाकारी पक्षकारों के अपने राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधियों के माध्यम से, अन्य संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में रहने वाले अपने नागरिकों पर सम्मन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों के

बिना बाध्यता लगाये इस तरह की तामील को प्रभावित करने के अधिकार को नहीं रोकेंगे। ऐसे मामलों में तामील की मान्यता की स्थिति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अधीन, सम्मन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों को सीधे डाक चैनलों के माध्यम से या किसी ऐसे पतेदार को सुपुर्द किया जा सकता है जो इसे बिना किसी बाध्यता के स्वेच्छा से स्वीकार करता है।

6. जिस राज्य के अधिकार क्षेत्र में तामील की जानी है, उस राज्य का नागरिक होने के बारे में कोई भी दावा राज्य के विधि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

अनुच्छेद IV

सम्मन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए अनुरोध में नाम और शीर्षक, निवास स्थान या पतेदार के व्यवसाय से संबंधित सभी विवरण और उस व्यक्ति को तामील किए जाने वाले दस्तावेजों और कागजात की एक सूची प्रस्तुत करनी होगी। जहां तामील का कोई विशेष तरीका वांछित है, यह भी अनुरोध में इंगित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद V

1. सम्मन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों की तामील के अनुरोध को, जो इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप है, अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष यह नहीं मानता कि अनुरोध के अनुपालन से उसकी संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन होगा।

2. तामील को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अनुरोध मामले की गुणवत्ता का समर्थन करने वाले पर्याप्त विधि आधार नहीं दर्शाता है।

3. जब भी तामील नहीं होगी, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष तत्काल अनुरोधकर्ता पक्ष को इसके कारणों से अवगत कराएगा।

अनुच्छेद VI

1. अनुरोध किये गये राज्य में सक्षम प्राधिकारी उक्त दस्तावेजों और कागजातों को इस संबंध में लागू कानूनों और नियमों के अनुसार तामील करेगा। ऐसी तामील को प्रभावी करने के लिए कोई शुल्क और लागत नहीं लगाई जा सकती है।

2. तामील अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा निर्दिष्ट एक विशेष विधि या तरीके से की जा सकती है, बशर्ते कि यह अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों का उल्लंघन न करे और तामील के ऐसे विशेष मोड की लागतों के भुगतान के अधीन हो।

अनुच्छेद VII

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष में सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां न्यायिक दस्तावेजों और कागजातों को पाने वाले को सुपुर्द करने तक सीमित होंगी।

2. सुपुर्दगी या तो न्यायिक दस्तावेज या कागज की प्रति पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारा की जाएगी जिसमें पाने वाले का नाम, वितरण की तारीख और तरीका बताया गया हो, और जहां ऐसा वितरण नहीं हो सका, ऐसी सुपुर्दगी नहीं होने के कारण दिए जाएंगे।

3. न्यायिक दस्तावेजों या प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कागज की एक प्रति या वितरण साबित करने वाला प्रमाण पत्र केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से अनुरोध करने वाले प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

साक्ष्य लेना

अनुच्छेद VIII

1. किसी संविदाकारी पक्ष के न्यायिक प्राधिकारी उस पक्ष के विधि के प्रावधानों के अनुसार, दूसरे पक्ष के सक्षम न्यायिक अधिकारियों को संबोधित अनुरोध पत्र के माध्यम से सिविल और वाणिज्यिक मामलों में साक्ष्य लेने का अनुरोध कर सकते हैं।

2. इस समझौते के प्रयोजन के लिए, साक्ष्य लेने में निम्नलिखित होगा:

   क. किसी गवाह के शपथ या अन्यथा बयानों को लेना;

   ख. किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में किसी गवाह को शपथ दिलाना; तथा

   ग. उपरोक्त उप-पैरा (क) और (ख) के तहत जिस व्यक्ति का साक्ष्य लिया गया है, उसके द्वारा अनुरोधित और प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से संबंधित दस्तावेजों, अभिलेखों, नमूनों की पेशगी, पहचान या परीक्षण।

3. अनुरोध पत्र निर्दिष्ट करेगा:

   क. साक्ष्य का अनुरोध करने वाला न्यायिक या अन्य सक्षम प्राधिकारी;

   ख. कार्यवाही की प्रकृति जिसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता है और उससे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी;

   ग. कार्यवाही के पक्षकारों के नाम और पते;

   घ. प्राप्त किए जाने वाले साक्ष्य; तथा

   ड़. जांच किए जाने वाले व्यक्तियों के नाम और पते।

4. जहां आवश्यक समझा जाता है, अनुरोध पत्र के साथ गवाहों या अन्य शामिल व्यक्तियों से पूछताछ की सूची या उस विषय वस्तु का एक विवरण होगा जिसके बारे में उनकी जांच की जानी है और ऐसे साक्ष्य या बयान से संबंधित दस्तावेज।

5. अनुरोध पत्र यह इंगित करेगा कि आवश्यक साक्ष्य शपथ या प्रतिज्ञान पर लिया जाना है या नहीं।

अनुच्छेद IX

इस समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में कमिशन के माध्यम से की गई न्यायिक कार्यवाही का वही विधि प्रभाव होगा जैसे कि अनुरोधकर्ता राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

अनुच्छेद X

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अपने स्वयं के कानूनों के प्रावधानों के अनुसार अनुरोध पत्रों को निष्पादित करेंगे और अपने कानूनों के तहत अनुमत समान विधियों और प्रक्रियाओं को बाध्यता के समान उपयुक्त तरीकों सहित लागू करके आवश्यक साक्ष्य प्राप्त करेंगे।

2. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष किसी विशेष पद्धति या प्रक्रिया का पालन करेगा जिसे अनुरोध पत्र द्वारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है जब तक यह इसके कानूनों और प्रथाओं के साथ असंगत नहीं है।

3. अनुरोध पत्रों को यथासंभव शीघ्रता से निष्पादित किया जाएगा।

4. अनुरोधकर्ता पक्ष, यदि वह चाहे तो, कार्यवाही के समय और स्थान के बारे में सूचित करेगा, ताकि संबंधित पक्ष और उनके प्रतिनिधि, यदि कोई हों, उपस्थित हो सकें। अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर यह जानकारी सीधे पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को भेजी जाएगी।

5. जब अनुरोध पत्र क्रियान्वित कर दिया जाता है, तो इसके निष्पादन को स्थापित करने वाले आवश्यक दस्तावेज अनुरोधकर्ता पक्ष को भेजे जाएंगे।

6. प्रत्येक मामले में जहां अनुरोध पत्र को पूर्ण या आंशिक रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है, अनुरोधकर्ता पक्ष को तुरंत सूचित किया जाएगा और कारणों को बताया जाएगा।

अनुच्छेद XI

अनुरोध पत्र के क्रियान्वयन को केवल उस सीमा तक अस्वीकार किया जा सकता है;

क. पत्र का क्रियान्वयन न्यायपालिका के कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है; या

ख. अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य का मानना है कि इसके क्रियान्वयन से उसकी संप्रभुता या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

2. क्रियान्वयन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपने आंतरिक विधि के तहत अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष कार्रवाई की विषय वस्तु पर अनन्य क्षेत्राधिकार का दावा करता है या यह कि उसकी आंतरिक विधि उस पर कार्रवाई के अधिकार को स्वीकार नहीं करेगी।

अनुच्छेद XII

अनुरोध पत्र के क्रियान्वयन और अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा साक्ष्य लेने से अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा किसी भी विवरण के तहत शुल्क, खर्च या लागत की कोई प्रतिपूर्ति नहीं होगी। तथापि, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष को निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा:

क. गवाहों, विशेषज्ञों या दुभाषियों को भुगतान किया गया कोई भी खर्च और शुल्क;

ख. स्वेच्छा से पेश नहीं हुए गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किया गया कोई भी खर्च; तथा

ग. अनुरोध पर एक विशेष प्रक्रिया के उपयोग से होने वाली कोई भी लागत और खर्च।

अनुच्छेद XIII

किसी भी संविदाकारी पक्ष का एक राजनयिक अधिकारी या कांसुलर एजेंट, दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में, उस पक्षकार के नागरिक की बाध्यता के बिना, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, समझौता पक्ष की अदालतों में शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही की सहायता के लिए साक्ष्य ले सकता है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है।

अनुच्छेद XIV

किसी भी संविदाकारी पक्ष से न्यायालयों द्वारा कमिशनर के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति, बिना किसी बाध्यता के, उस पक्ष के कानूनों के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में साक्ष्य ले सकता है।

अनुच्छेद XV

1. प्रत्येक समझौता करने वाला पक्ष, अपने कानूनों के अनुसार, सिविल, वाणिज्यिक और व्यक्तिगत मामलों में और सिविल मामलों में आपराधिक अदालतों द्वारा अन्य समझौता पक्ष के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री को मान्यता देगा और/या निष्पादित करेगा।

2. इस समझौता में प्रयुक्त शब्द 'डिक्री', चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो, का अर्थ संविदाकारी सरकारों के सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यवाही में दिया गया कोई भी निर्णय है।

3. यह समझौता कराधान और भत्तों से संबंधित मामलों को छोड़कर, अंतरिम या अनंतिम उपायों पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद XVI

किसी व्यक्ति की क्षमता या स्थिति के प्रश्न से जुड़े विवादों में, मुकदमे की स्थापना के समय उस राज्य की अदालतें, जिनमें से वह व्यक्ति नागरिक है, उन मामलों में सक्षम होगी।

अनुच्छेद XVII

राज्य के न्यायालय जहां अचल संपत्ति स्थित है, ऐसी संपत्ति से जुड़े अधिकारों को निर्धारित करने के लिए सक्षम होंगे।

अनुच्छेद XVIII

किसी व्यक्ति या अचल संपत्ति की क्षमता या स्थिति के अलावा अन्य मामलों में, किसी संविदाकारी पक्ष की अदालतों का निम्नलिखित मामलों में अधिकार क्षेत्र होगा:

क. यदि प्रतिवादी का अधिवास या निवास उस राज्य के क्षेत्र में वाद की स्थापना के समय है।

ख. या प्रतिवादी के पास वाद की स्थापना के समय, एक जगह या वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रकृति की एक शाखा है या उस राज्य के क्षेत्र में लाभ के लिए काम करता है, और वाद ऐसी गतिविधि से संबंधित है।

ग. या वादी और प्रतिवादी के बीच एक स्पष्ट या निहित समझौते से, मुकदमेबाजी को जन्म देने वाले संविदात्मक दायित्वों को उस राज्य के क्षेत्र में निष्पादित किया जाता है या किया जाना है।

इ. या प्रतिवादी स्पष्ट रूप से या निहित रूप से उस राज्य की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में निवेदन करता है, और उस राज्य की विधि इस तरह के निवेदन की अनुमति देता है

च. या अनंतिम उपायों के लिए कोई अनुप्रयोग, जिसके आधार पर इस समझौते के प्रावधान के अनुसार यदि ऐसे राज्य की अदालतों को मुख्य विवाद को सुनने के लिए सक्षम माना जाता है।

अनुच्छेद XIX

इस समझौते के प्रावधानों के अधीन, राज्य की अदालतों ने किसी डिक्री को मान्यता देने या क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है, जब अन्य संविदाकारी राज्य के न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार के आधारों की जांच करते समय, उस डिक्री में वर्णित तथ्यों से बाध्य होंगे जिस पर अधिकार क्षेत्र आधारित है, जब तक कि उक्त डिक्री अनुपस्थिति में पारित नहीं की गई हो।

अनुच्छेद XX

निम्नलिखित मामलों में किसी डिक्री को मान्यता या क्रियान्वित नहीं किया जाएगा:

क. यदि यह निर्णायक और क्रियान्वयन योग्य नहीं है;

ख. या यह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दिया गया हो;

ग. या यह मामलों के गुण-दोष के आधार पर नहीं दिया गया हो;

घ. या कार्यवाही के आधार पर ऐसा लगता है कि यह अंतरराष्ट्रीय विधि के गलत दृष्टिकोण पर आधारित है या ऐसे मामलों में अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष की विधि को मान्यता देने से इंकार कर दिया गया है जिनमें ऐसी विधि लागू होती हो।

ड़. या कार्यवाही जिसमें प्राप्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हो;

च. या यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो;

छ. या यह किसी भी लागू विधि के उल्लंघन पर स्थापित दावे का समर्थन करता हो, या संवैधानिक नियमों या अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था के सिद्धांतों के विपरीत हो;

ज. या यह विधि प्रतिनिधित्व या अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य में क्षमता की कमी से पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित नियमों का उल्लंघन करता हो;

झ. या यह अनुपस्थिति में पारित किया गया हो और चूककर्ता पार्टी को उसके देश में लागू नियमों के अनुसार सम्यक रूप से सम्मन नहीं दिया गया हो;

ञ. या जिस विवाद में डिक्री पारित की गई थी, वह अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य की एक अदालत के समक्ष एक ही पक्ष के बीच और कार्रवाई के एक ही कारण से संबंधित एक मुकदमे में लंबित हो, तथा वह

उस राज्य की अदालतों में से एक के समक्ष उठाया गया हो। राज्य की अदालत में उस विवाद को उठाने से पहले की तारीख में, जिसने डिक्री पारित की हो, और बशर्ते कि जिस अदालत के सामने मुकदमा उठाया गया, वह यहां सक्षम हो और उस पर फैसला कर सकता हो।

अनुच्छेद XXI

किसी डिक्री की मान्यता या क्रियान्वयन से संबंधित प्रक्रियाएं अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों के अधीन होंगी।

अनुच्छेद XXII

1. राज्य में सक्षम न्यायिक प्राधिकारी को किसी डिक्री को मान्यता देने या निष्पादित करने का अनुरोध किया है, तो वह मामले के गुण-दोष की समीक्षा किये बिना, इस समझौते में प्रदान की गई शर्तों के साथ डिक्री के अनुपालन का पता लगाने के लिए खुद को सीमित करेगा।

2. अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य में सक्षम न्यायिक प्राधिकारी, जब आवश्यक हो, डिक्री को क्रियान्वित करने में, डिक्री को उसी तरीके से अधिसूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा, जैसा कि उसके अपने क्षेत्र में पारित किया गया हो।

3. यदि डिक्री के ऐसे भाग का निष्पादन तामील योग्य हो, तो पूर्ण या आंशिक डिक्री के लिए निष्पादन का आदेश दिया जा सकता है।

अनुच्छेद XXIII

अन्य संविदाकारी पक्ष में किसी डिक्री की मान्यता या निष्पादन का अनुरोध करने वाले संविदाकारी पक्ष के केंद्रीय प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:

क. डिक्री की एक आधिकारिक प्रति।

ख. एक प्रमाण पत्र जो यह दर्शाता हो कि डिक्री अंतिम और क्रियान्वयन योग्य है, जब तक कि डिक्री में ही ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता हो।

ग. अनुपस्थिति में डिक्री के मामले में, सम्मन की एक प्रमाणित प्रति या कोई अन्य दस्तावेज जो यह दर्शाता हो कि प्रतिवादी को विधिवत सम्मन किया गया है।

घ. यदि अनुरोध केवल एक डिक्री के निष्पादन के लिए है, तो उचित निष्पादन योग्य फॉर्म में एक आधिकारिक प्रति।

अनुच्छेद XXIV

1. किसी दावे का निपटारा जो किसी भी संविदाकारी पक्ष के न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष किया जाता है जो उसके राष्ट्रीय विधि के अनुसार दावे पर विचार करने के लिए दायर किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह उस राज्य में निष्पादन योग्य है, जिसमें यह निर्णित हुआ था, दूसरे समझौता पक्ष के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त होगा और लागू किया जाएगा तथा इसमें अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के संवैधानिक नियमों या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करने वाला कोई प्रावधान नहीं हो।

2. समझौते की मान्यता या निष्पादन का अनुरोध करने वाले पक्षकार को एक आधिकारिक प्रति और न्यायिक प्राधिकरण से प्राप्त एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह बताया गया हो कि डिक्री किस सीमा तक संतुष्ट या समायोजित की गई है।

माध्यस्थम निर्णय

अनुच्छेद XXV

1. इस समझौते के अनुच्छेद XXIV और XXVI के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी पक्ष के क्षेत्र में दिए गए मध्यस्थ निर्णयों को मान्यता दी जाएगी और दूसरे पक्ष में लागू किया जाएगा बशर्ते कि:

क. मध्यस्थों का निर्णय विधि संबंधों से उत्पन्न होने वाले किसी विशिष्ट या भविष्य के विवाद के निर्धारण के लिए मध्यस्थों को प्रस्तुत करने के लिए विवाद के पक्षों के लिखित समझौते पर आधारित है।

ख. जब तक यह अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य की सार्वजनिक नीति के विपरीत न हो, इसके प्रवर्तन को मान्यता देने के लिए अनुरोध किये गये राज्य की विधि के अनुसार मध्यस्थ मामलों पर निर्णय दिया गया हो।

2. किसी निर्णय की मान्यता और प्रवर्तन का अनुरोध करने वाला पक्ष, अनुरोधकर्ता राज्य में सक्षम न्यायिक प्राधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ निर्णय की एक प्रति प्रस्तुत करेगा कि निर्णय क्रियान्वयन योग्य है।

3. मध्यस्थों को विवाद का फैसला करने की शक्ति देने के लिए विवादित पक्षों के बीच समझौते की एक प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की जाएगी।

अनुसर्थन और समापन

अनुच्छेद XXVI

यह समझौता अनुसमर्थन के अधीन है और अनुसमर्थन के लिखतों का जल्द से जल्द आदान-प्रदान किया जाएगा। यह अनुसमर्थन के लिखतों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगा।

कोई भी संविदाकारी पक्ष राजनयिक चैनलों के माध्यम से छह महीने का नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है। इस तरह के नोटिस की समाप्ति पर, समझौते का कोई भी बल या प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

के साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी ने उनकी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत होने के परिणामस्वरूप इस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

25 अक्टूबर, 1999 को नयी दिल्ली में हिंदी, अरबी और अंग्रेजी भाषा में दो-दो मूल प्रतियों में किया गया है, प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रामाणिक है। हालांकि, कोई अंतर हो, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
के लिए

संयुक्त अरब अमीरात की सरकार
के लिए